मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 56

प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4900.00	4.85	4904.85	4300.00	4.58	4304.58	4900.00	4.63	4904.63
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**4900.00**	**4.85**	**4904.85**	**4300.00**	**4.58**	**4304.58**	**4900.00**	**4.63**	**4904.63**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सामान्य शिक्षा										
प्राथमिक शिक्षा										
2. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	2202	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2251	0.21	...	0.21	0.52	...	0.52	...	...	...
	3601	58.25	...	58.25	19.57	...	19.57	...	...	...
	3602	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*58.50*	*...*	*58.50*	*20.09*	*...*	*20.09*	...	...	...
3. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2202	25.00	...	25.00	0.52	...	0.52	8.00	...	8.00
	2251	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30
	3601	152.80	...	152.80	141.56	...	141.56	192.70	...	192.70
	3602	8.00	...	8.00	5.43	...	5.43	6.00	...	6.00
	जोड़	*186.30*	*...*	*186.30*	*148.01*	*...*	*148.01*	*207.00*	*...*	*207.00*
4. अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक प्रवर्तन शिक्षा	2202	1.80	...	1.80	9.80	...	9.80	...	...	...
5. राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना	2202	40.00	...	40.00	15.02	...	15.02	10.00	...	10.00
6. महिला समाख्या	2202	19.85	...	19.85	8.85	...	8.85	29.85	...	29.85
	2251	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	जोड़	*20.00*	*...*	*20.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
7. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	4.05	2.40	6.45	3.60	2.30	5.90	4.00	2.40	6.40
8. लोक जुंबिश	2202	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
9. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	1328.00	...	1328.00	1235.00	...	1235.00	1198.00	...	1198.00
	2251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*1330.00*	*...*	*1330.00*	*1237.00*	*...*	*1237.00*	*1200.00*	*...*	*1200.00*
10. प्राथमिक शिक्षा (एमडीएम) को पोषाहार सहायता	2202	1057.50	...	1057.50	1021.50	...	1021.50	1175.00	...	1175.00
11. सर्व शिक्षा अभियान	2202	1400.35	...	1400.35	1193.35	...	1193.35	1929.58	...	1929.58
	2251	6.65	...	6.65	4.84	...	4.84	21.65	...	21.65
	3601	100.00	...	100.00	20.08	...	20.08	0.01	...	0.01
	3602	5.00	...	5.00	1.76	...	1.76	0.01	...	0.01
	जोड़	1512.00	...	1512.00	1220.03	...	1220.03	1951.25	...	1951.25
12. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	2202	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	6.25	...	6.25
13. प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-यू.एन. संयुक्त कार्यक्रम	2202	20.00	...	20.00	13.50	...	13.50	5.00	...	5.00
14. कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	3601	6.65	...	6.65	0.01	...	0.01	7.50	...	7.50
	3602	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
	जोड़	*7.65*	*...*	*7.65*	*0.02*	*...*	*0.02*	*8.50*	*...*	*8.50*
जोड़ प्रांरभिक शिक्षा		**4302.30**	**2.40**	**4304.70**	**3762.07**	**2.30**	**3764.37**	**4667.00**	**2.40**	**4669.40**
प्रौढ़ शिक्षा										
15. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	2202	18.00	...	18.00	21.50	...	21.50	24.50	...	24.50
16. नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा	2202	130.20	...	130.20	130.73	...	130.73	143.00	...	143.00
	3601	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*130.20*	*...*	*130.20*	*130.73*	*...*	*130.73*	*145.00*	*...*	*145.00*
17. साक्षरता अभियान और पुनः संचालन	2202	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	25.00	...	25.00
18. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	12.75	1.90	14.65	10.45	1.73	12.18	10.75	1.68	12.43
19. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	0.80	0.20	1.00	0.30	0.20	0.50	0.40	0.20	0.60
	2251	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	0.60	...	0.60
	जोड़	*2.00*	*0.20*	*2.20*	*1.50*	*0.20*	*1.70*	*1.00*	*0.20*	*1.20*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20. श्रमिक विद्यापीठ (जन शिक्षण संस्थान)	2202	22.50	...	22.50	22.50	...	22.50	25.00	...	25.00
21. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	2202	1.00	...	1.00	...	...	...	0.50	...	0.50
22. प्रौढ़ शिक्षा में जन शिक्षा	2202	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25
23. अन्य कार्यक्रम	2202	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		**209.70**	**2.45**	**212.15**	**209.93**	**2.28**	**212.21**	**233.00**	**2.23**	**235.23**
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	388.00	...	388.00	328.00	...	328.00	...	...	...
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Total	*388.00*	...	*388.00*	*328.00*	...	*328.00*	...	...	...
कुल जोड़		***4900.00***	***4.85***	***4904.85***	***4300.00***	***4.58***	***4304.58***	***4900.00***	***4.63***	***4904.63***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	4512.00	...	4512.00	3972.00	...	3972.00	4900.00	...	4900.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	388.00	...	388.00	328.00	...	328.00	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय योजना		**4900.00**	**...**	**4900.00**	**4300.00**	**...**	**4300.00**	**4900.00**	**...**	**4900.00**

1. **सचिवालय** : इसमें सचिवालय संबंधी व्यय की व्यवस्था है।

2. **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड** : आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। प्रत्येक मौजूदा प्राथमिक स्कूल के लिए कम से कम दो अध्यापक,दो यथोचित बड़े कमरे और अनिवार्य अध्यापन शिक्षण सामग्री(टीएलएम),आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के घटक थे। उन प्राथमिक स्कूलों में जहां संख्या 100 से अधिक है तीसरा अध्यापक/तीसरा कमरा उपलब्ध कराने तथा 1993-94 से उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करके योजना का विस्तार किया गया है। योजना में, उस योजना अवधि जिसके दौरान नियुक्ति की गई है अध्यापन शिक्षण उपस्कर तथा अध्यापकों के वेतनों के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के अधीन विद्यालय भवन निर्माण के लिए व्यवस्था कराई गई थी।

वर्ष 1987-88 से वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान, सभी लक्षित प्राथमिक विद्यालयों (5,22,902) और एकल अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों को दो अध्यापक विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए उन्हें 149146 पदों की स्वीकृति दी गई है। 1,38,009 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अध्यापन शिक्षण उपस्करों के लिए निधियां मंजूर की गई हैं । 83,045 प्राथमिक विद्यालयों को तीसरे अध्यापक और 77,610 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अतिरिक्त अध्यापकों की मंजूरी दी गई है।

यद्यपि आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वर्ष 2002-2003 से सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए)में शामिल की गई है, योजना आयोग ने,विशेष मामले के रूप में,यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार एक और योजना अवधि अर्थात सर्व शिक्षा अभियान की निधियों से दसवीं योजना अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अधीन नौवीं योजना के दौरान तय किए गए अध्यापकों के वेतन के वचनबद्ध व्यय को पूरा करेगी। अतः वर्ष 2003-2004 के लिए इस योजना के अधीन कोई निधियां नहीं मांगी गई हैं।

3. **अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ करना** : जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) तथा कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए)-1986 में परिकल्पित था, अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987 में शुरू की गई थी जो व्यवहार्य संस्थागत आधारिक संरचना, आधारोन्मुख प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन आधार का सृजन तथा देश में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की जानकारी, सक्षमता और शैक्षणिक कौशल का निरन्तर उन्नयन करेगी। योजना के पांच संघटक हैं-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) की स्थापना करना;

(ii) अध्यापक शिक्षा के कालेजों (सीटीई) को सुदृढ़ करना और उनमें से कुछ का शिक्षा में अग्रवर्ती अध्ययन संस्थाओं (आई ए एसई) के रूप में विकास करना;

(iii) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सुदृढ़ करना;

(iv) स्कूल अध्यापकों के लिए विशेषोन्मुख कार्यक्रम तथा अध्यापक प्रशिक्षण में दूरवर्ती प्रणाली शुरू करना; और

(v) विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना तथा इसे सुदृढ़ करना।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अब तक 492 जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं, 86 अध्यापक शिक्षा के कालेजों और 38 शिक्षा में अग्रवर्ती अध्ययन संस्थाओं को मंजूरी दी गई है। 20 राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को सुद्दढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। डीआईईटी/सीटीआई/आईएएसई में निर्माण के प्रयोजनार्थ, उपस्करों की खरीद के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को वेतन और भत्तों, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को वहन करने, आपात निधियों आदि के लिए आवर्ती अनुदान भी प्रदान किए जाते है। एससीईआरटी के माध्यम से एनसीईआरटी द्वारा आयोजित किए जा रहे एसओपीटी के तहत 20.00 लाख अध्यापकों को शामिल किया गया है। तथापि दसवीं योजना में एसओपीटी कार्यक्रम को एसएसए के साथ विलय कर दिया गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थानों को पूर्णतः कार्यात्मक और उत्पादक बनाते हुए स्कीम में पर्याप्त संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। उनकी ओर से वर्धित जिम्मेदारी सहित स्कीम के कार्यान्वयन में लचीलेपन को अनुमति देते हुए राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी पर बल होगा। मुख्य क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा संस्थान,अधिकतम संख्या तक पहुंचने के लिए सेवा पूर्व अध्यापकों और सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण में विस्तार,अध्यापक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास आदि शामिल होंगे। स्कीम में संशोधन के लिए ईएफसी ज्ञापन तैयार किया गया है। और शीघ्र ही मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा जाएगा।

4. **शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा(ईसीएसऔरएआईई):**

शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा(ईसीएसऔरएआईई) दिनांक 1.4.2001 से प्रचालनात्मक की गई है।

ईसीएसऔरएआईई दसवीं पंचवर्षीय योजना(1.4.2002) और उससे आगे प्रारम्भिक शिक्षा के समग्र विश्वव्यापीकरण कार्यक्रम अर्थात **सर्व शिक्षा अभियान** का संघटक/हस्तक्षेप है।

इस स्कीम की तीन मुख्य श्रेणियां हैं, अर्थात्

क) विद्यालय रहित स्थानों पर एक कि. मी. के घेरे के अन्तर्गत विद्यालयों की स्थापना।

ख) विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा को सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों, विद्यालयों शिवरों में वापसी आदि के माध्यम से सरल बनाने के लिए मध्यस्थता।

ग) विशेष और हठी किस्म के बच्चों के लिए जिन्हें सहजता से शिक्षा नहीं दी जा सकती, नीतियां।

अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग आबंटन नहीं किए जाते। निधियों की निर्मुक्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है।

5. **राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना** - इस परियोजना का उद्देश्य बालिकाओं पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए राजस्थान के दूरस्थ और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक और गुणवत्ता सुधार है। इस परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 1987 से स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास निगम एजेंसी (सिडा) की सहायता से किया गया है। परियोजना का चरण-I 30.6.1994 तक था। सिडा और राजस्थान सरकार (जीओआर) ने क्रमशः 90:10 के अनुपात में परियोजना लागत में हिस्सेदारी की। परियोजना का दूसरा चरण 30.06.1998 को समाप्त हुआ। सिडा और राजस्थान सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी को शिक्षा कर्मी परियोजना के चरण-II के दौरान 50:50 में संशोधित किया गया था। भारत सरकार (जीओआई) अपने केन्द्रीय आयोजना बजट में सिडा के हिस्से के संबंध में प्रावधान कर रही है, जिसकी प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से सिडा द्वारा की गई।

यू.के. का अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) सिडा की वर्तमान पद्धति के अनुसार राजस्थान सरकार तथा डीएफआईडी के बीच 50:50 के लागत हिस्सेदारी अनुपात पर परियोजना के चरण-III (1999-2003) को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। शिक्षा कर्मी परियोजना के चरण-III (1999-2003) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

6. **महिला समाख्या कार्यक्रम** : महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) शत-प्रतिशत डच सहायता प्राप्त परियोजना है, जो 1989 में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम इस समय उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तरांचल और झारखंड जैसे 10 राज्यों के 60 जिलों के 9000 गांवों में कार्यान्वित किया गया है। शिक्षा के लिए महिला को समर्थ बनाने में महिला समाख्या नीति की कारगरता के परिणामस्वरूप इसे अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं द्वारा अपनाया जा रहा है। बिहार के 11 जिलों और मध्य प्रदेश तथा असम, प्रत्येक में 5-5 जिलों में इस कार्यक्रम को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) का समर्थन प्राप्त है।

महिला समाख्या ग्रास-रूट स्तर पर महिलाओं के सामर्थ्य को मजबूती प्रदान करने में समर्थ रहा है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इसने देवदासी, योगिनी व्यवस्था आदि को रोकने तथा इनके पुनर्वास जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला समाख्या कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा केन्दों, प्रारम्भिक बाल्यावस्था, कामकाजी ग्रामीण महिलाओं के लिए स्कूल पूर्व-एवं-शिशु सदन सुविधाओं, गहन गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने तथा कौशल विकास के लिए किशोर बालिकाओं और अशिक्षित महिलाओं के लिए महिला शिक्षण केन्द्रों को कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम निम्नलिखित मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है:-

- दिन-प्रतिदिन की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना,
- नागरिक सुविधाओं में सुधार
- स्वास्थ्य,
- बच्चों विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करना,
- महिलाओं के साथ हिंसा, बाल विवाह और दहेज जैसे सामाजिक मुद्दे
- न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान,
- विधिक साक्षरता तथा पचांचतों आदि के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए समर्थ बनाना।

सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यक्रम को जारी रखने की स्वीकृति दे दी थी। महिला समाख्या कार्यक्रम के डच निधिकरण का चालू चरण 31 दिसम्बर,2002 तक है। कार्यक्रम के अगले चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली** : भूतपूर्व बाल भवन सोसायटी, इंडिया, राष्ट्रीय बाल भवन सोसायटी की स्थापना पं0 जवाहर लाल नेहरू की पहल पर एक पंजीकृत समिति के रूप में भारत सरकार द्वारा 1955 में की गयी थी । यह इस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और शारीरिक कार्यों के जरिए बच्चों के चहुँमुखी विकास के अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों और समुदायों के बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन करना, उनमें ऐसी भावना जागृत करना ताकि वे वैज्ञानिक सूझबूझ से आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास कर सकें।

8. **लोक जुम्बिश** : लोगों की एकजुटता और उनकी भागीदारी के जरिए वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजस्थान में स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथोरिटी (एसआईडीए) के सहयोग से एक नई परियोजना "लोक जुम्बिश" शुरू की गई थी।

परियोजना का पहला चरण जून 1992 से जून 1994 के दौरान एसआईडीए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 3:2:1 के अनुपात में वहन की गई 18 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर कार्यान्वित किया गया था।

दूसरे चरण की अवधि को जुलाई, 1995 से बढ़ाकर जून, 1999 कर दिया गया था तथा इसे पुनः दिसम्बर, 1999 तक बढ़ाया गया था। परियोजना के तीसरे चरण को अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीपीआईडी) यू.के. की सहायता से शुरू किया गया है जो जून 2004 तक है और इसकी कुल परियोजना लागत 400 करोड़ रुपए है।

प्राथमिक शिक्षा के कई घटकों जैसे कि अध्यापकों का प्रशिक्षण, शिक्षा के न्यूनतम स्तर, नए विद्यालय खोलना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आदि, में परियोजना हस्तक्षेप किए गए। इसने निर्माण कार्य भी शुरू किए हैं जैसे कि विद्यालयों की योजना बनाना, नए विद्यालय खोलना और प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन करना। लोक जुम्बिश की कुछ अन्य मुख्य उपलब्धियां यह रही हैं : विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों को समाविष्ट करते हुए प्रवर्तक प्रबंध तंत्रों का गठन और शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा स्थानीय समुदायों और स्वयं सेवी क्षेत्र के साथ भागीदारी निर्माण, समुदाय केन्द्रित विद्यालय भवन कार्यक्रम के लिए गहन सामुदायिक और विद्यालयों की योजना से संबंधित कार्रवाई तथा नया डिजाइन तैयार करना।

10. **प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) स्कीम :**

1. प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी--एनपीएसई)जिसे सामान्य मध्याह्न भोजन स्कीम(एमडीएम) के रूप में जाना जाता है, औपचारिक रूप से 15 अगस्त,1995 को शुरू हुई, जो वित्त मंत्री के बजट भाषण में,इस स्कीम के कुछ राज्यों में बच्चों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ने और देश में भरपूर खाद्य भंडार स्थिति होने तथा प्राथमिक शिक्षा के पोषण,स्वास्थ्य और आईसीडीएस से संबंधित होने के कारण,अखिल भारतीय स्तर पर इस स्कीम के विस्तार से संबधित सुस्पष्ट उल्लेख का परिणाम थी।

2. कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी,सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा (1-5) में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य नामांकन,उपस्थिति और धारण को बढ़ावा देते हुए तथा साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की पोषण स्थिति पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा के विश्वव्यापीकरण को बढ़ावा देना है। देश में सरकारी स्थायी निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं(1-5) के सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम को ईजीएसऔरएआईई स्कीम के अधीन शिक्षा प्राप्ति केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक बढ़ाया जाए।

3. **कार्यान्वयन की स्थिति :**

(i) वर्ष 2002-2003 के दौरान,राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन आंकड़ों के आधार पर 28.26 लाख मी.टन खाद्यान्न 10.25 करोड़ बच्चों के लिए आबंटित किया गया है। नवम्बर,2002 की स्थिति के अनुसार,भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12.97 लाख मी. टन खाद्यान्न उठाया गया है।

(ii) केन्द्रीय सहायता के आधार पर 8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, अंडमान व निकोबार, पांडिचेरी और दादर व नगर हवेली इस समय पका हुआ भोजन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में, 89 आदिवासी ब्लॉकों में बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। उड़ीसा में 8 केबी के जिलों (बोलनगीर, कालाहांडी, कोरापुट मल्कानगिरी, नवरंगपुर, नुवापाडा, रायगढ़ और सोनीपुर) में और केबी के भिन्न जिलों के 74 आईटीडीए ब्लॉकों में भोजन दिया जा रहा है। कर्नाटक बेलारी, बिदार, बीजापुर, बगलकोट, गुलबर्ग, कोपाला और रायचुर जिलों में भोजन दिया जा रहा है। दिल्ली और चंडीगढ़ में खाने के लिए तैयार भोजन का वितरण किया जा रहा है। कर्नाटक में लगभग 57,000 बच्चों को नौ गैर-सरकारी संगठन भोजन देने में शामिल होते रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश दिनांक 02.01.2003 से भोजन कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

(iii) शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.11.2001 के आदेश, जिसके अनुसार खाद्यान्न वितरण की मौजूदा स्कीम को पका हुआ भोजन कार्यक्रम में परिवर्तित करना है, के बावजूद खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। इस संबंध में, इन राज्यों द्वारा वित्तीय नियंत्रणों को मुख्य कारण बताया गया है।

(vi) ग्रामीण विकास मंत्रालय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) कार्यक्रम के तहत रसोई-शेड बनाने के लिए सहमत हो गई है।

(v) हाल ही में कर्नाटक में 9 गैर-सरकारी संगठन पका हुआ भोजन कार्यक्रम का कार्यान्चयन कर रहे है, जिसमें राज्य सरकार के सर्वांगीण पर्यवेक्षण के अधीन 357 विद्यालयों में पढ़ रहे 57,608 बच्चे शामिल हैं।

दसवीं योजना के दौरान 5900 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वर्ष 2002-2003 के लिए 1175 करोड़ रुपए के आबंटन के प्रति, 1157.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था सामान्य व्यय के लिए और 117.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए की गई है।

11. **सर्व शिक्षा अभियान** : सर्व शिक्षा अभियान योजना नवम्बर, 2000 में आरंभ हुई थी। यह होलिस्टक एवं अभिमुख प्रस्ताव सहित मिशन प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्यों से परामर्श तथा भागीदारी करके इस नए ढांचे के तहत केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी में प्राथमिक शिक्षा के सभी वर्तमान कार्यक्रमों को निगमित करने का प्रयास है। सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों में अथवा वैकल्पिक स्कूलों में दाखिला देना है और वर्ष 2010 तक उन्हें आठ वर्षीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम में पूरा देश शामिल है और यह 11 लाख निवास स्थानों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 8.5 लाख मौजूदा प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय और 33 लाख मौजूदा अध्यापक इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उन निवासस्थानों में जहां विद्यालय-संबंधी सुविधा नहीं है, नए विद्यालय खोलने की मांग है और अतिरिक्त कक्षाओं, शौच-घरों, पेयजल, अनुरक्षण अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान की व्यवस्था के माध्यम से मौजूदा विद्यालय आधारढांचे को सुदृढ़ करना है। अपर्याप्त अध्यापक संख्या वाले मौजूदा विद्यालयों के लिए कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा अध्यापकों की क्षमता व्यापक प्रशिक्षण, अध्यापन शिक्षण सामग्री के विकास और शैक्षिक समर्थन संरचना के विकास के लिए अनुदान की व्यवस्था द्वारा बढ़ाई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं और कमजोर वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, इन बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों सहित अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम्प्यूटर शिक्षा देने की मांग है।

13. **जनशाला (भारत सरकार- संयुक्त राष्ट्र) कार्यक्रम :**

वर्ष 1988 में शुरू किया गया जनशाला कार्यक्रम विश्वव्यापी प्रारंभिक शिक्षा यू.ई.ई. प्राप्त करने के लिए जारी प्रयासों को कार्यक्रम समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार और पांच यू.एन. एजेन्सियों-यू.एन.डी.पी., यूनीसेफ, यूनेस्को, यूएनएफपीए और आईएलओ का एक सहयोगी कार्यक्रम है। यह एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को विशेषतः बालिकाओं और वंचित समुदाय के बच्चों, हाशिए पर आ चुके समूह कामकाजी बच्चों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुगम्य और प्रभावी बनाना है। यह कार्यक्रम देश के नौ राज्यों में 10 शहरी क्षेत्रों सहित 139 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अपनी विभिन्न दखल-कार्रवाइयों के माध्यमों से लगभग 3 मिलियन बच्चों, 58000 अध्यापकों और 1800 औपचारिक सरकारी स्कूलों को शामिल करता है। इस कार्यक्रम में 20 मिलियन डालर का परिव्यय है, जिसमें संयुक्त रूप से तीन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों--यूएनडीपी, यूनीसेफ और यूएनएफपीए द्वारा पांच वर्षों के लिए संयुक्त रूप से वचनबद्धता की गई है। यह कार्यक्रम दो और वर्षों के लिए बढ़ाया गया है और यह कार्यक्रम दिसम्बर, 2004 तक जारी रहेगा।

यद्यपि बल और दखल-कार्रवाइयां राज्यवार भिन्न हैं, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी नौ राज्यों में बेहतर-विद्यालय प्रबंधन के लिए समुदाय अधिकारिता, समुदाय आधारित विद्यालयों के माध्यम से पहुंच को सुधारने, अध्यापक-प्रशिक्षण और बहुग्रेड अध्यापन तकनीकों के माध्यम से विद्यालय-प्रभावात्मकता को सुधारना है और हाशिए पर आ गए समूहों के बच्चों और बालिकाओं तथा कठिन परिस्थितियों में जी रहे बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए इक्विटी पर ध्यान केन्द्रित करना है।

इस कार्यक्रम में 10 स्थलों के स्लमों सहित कार्यक्रम क्षेत्रों में सभी निवासस्थानों में गहन सूक्ष्म-योजना बनाई गई है। सूक्ष्म योजना के कारण वीईसी/पीटीए/एमटीए की संरचना और क्षमता-निर्माण हुआ है। स्थानीय समुदाय विशेष रूप से मदर ग्रुप की सक्रिय अन्तर्ग्रस्तता से, स्कूली सुविधा से वंचित स्थानों में 3000 से अधिक वैकल्पिक विद्यालय खोले गए हैं, जहां 1.2 लाख स्कूली-बच्चे, जिनमें बालिकाओं की बहुलता है, पढ़ रहे हैं। राज्यों ने बाल-केन्द्रित और आनन्ददायी अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षणों की व्यवस्था की है। राज्यों ने बहुग्रेड कक्षाओं को संबोधित करने के लिए नीतियां भी बनाई हैं, जिनमें बहु-ग्रेड शिक्षण में शिक्षकोन्मुखी कार्यक्रम और उन्नत अध्यापन-शिक्षण सामग्री शामिल है। विद्यालयों में आयु-विनिर्दिष्ट ग्रेडों में स्कूली बच्चों में से अधिक आयु के बच्चों के लिए, विद्यालयों में आयु निर्दिष्ट ग्रेड़ों में उनके मुख्य विषयों के लिए और उन बच्चों के लिए जो कठिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में हैं विशेषतया शहरी स्लमों में रहने वाले बच्चों के लिए ब्रिज-कोर्सों की व्यवस्था की गई है। इन "ब्रिज-कोर्सों" के माध्यम से 15000 से अधिक बच्चों ने औपचारिक विद्यालयों में मुख्य विषयों की शिक्षा प्राप्त की है। जनशाला ने पूर्व-विद्यालय की पहुंच को बढ़ाया है और शिक्षा-संघटकों में सरकार के एकीकृत बाल विकास केन्द्रों को सुदृढ़ किया है। इसने विद्यालयों में अपेक्षाकृत बड़ी आयु की बालिकाओं की नियमित भागीदारी को सुनिश्चित किया है और विद्यालय जाने के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा से अलग हो जाने वाले बच्चों में भी कमी की है। इस कार्यक्रम ने अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए और विद्यालयों में सहायता-सामग्री तथा उपकरणों की व्यवस्था करके और व्यवधान-मुक्त पर्यावरण की व्यवस्था करके सम्मिलित शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। कुछ राज्यों ने समाभिरूपता के माध्यम से विद्यालय के स्वास्थ्य और स्वच्छता उप-कार्यक्रम और कम्प्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम भी किए हैं।

यह कार्यक्रम वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र-सरकारी सहयोग की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया के रूप में चुना गया था।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा विकास के विशुद्ध दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीति के परिचालन का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में आयोजना के लिए प्रतिभागिता प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा प्रबन्धन पर स्पष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधारों को पुनःसक्रिय करने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य क्षमता तथा अवरोधन में सुधार करना, शिक्षा से वंचित रहने वालों में कमी करना तथा ज्ञान क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी है तथा ऐसी कार्य प्रणालियों को विकसित करना भी है जो लागू करने तथा जारी रखने योग्य हैं। कार्यक्रम में इस समय 18 राज्यों, अर्थात्, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उतरांचल, बिहार, झारखण्ड और राजस्थान के 272 जिले शामिल हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत 23,000 नए प्राथमिक विद्यालय और 84,000 वैकल्पिक विद्यालय खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीईपी जिले में 44,5000 विद्यालय भवनों, 48,800 अतिरिक्त कक्षाओं, 19,000 संसाधन केन्द्रों, 15,000 मरम्मत

कार्य, 49,000 प्रसाधन कक्षों और 18,500 पेय जल सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है अथवा लगभग समाप्ति पर है। कार्यक्रम की पुनरीक्षा और मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप नामाकंन में उल्लेखनीय वृद्धि, शिक्षा प्राप्ति में सुधार, अधिवांछित समुदायों के शामिल होने के साथ ही पुनरावृद्धि दरों/शिक्षा छोड़ देने वालों में कमी, कक्षा प्रक्रियाओं आदि में सुधार हुआ है।

14. **कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय :** कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय (के.जी.एस.वी) वित्त मंत्री द्वारा अपने 1997-98 के बजट भाषण में महिला निम्न साक्षरता जिलों में अ.जाति, अ.जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यको से संबंध रखने वाली बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय खोलने के लिए की गई घोषणा का परिणाम है। योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आरंभ की गई थी और तदनन्तर,प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग को अंतरित कर दी गई। अ.जा., अ.ज.जाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए उपयुक्त विशेष स्थानीय पाठ्यक्रम का विकास करना भी शामिल है। लगभग 500 आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। के.जी.वी.ए. स्कूल एक चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे।

स्कीम के अनिवार्य अनुमोदन मांगने से पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा आदिवासी कार्य मंत्रालय के परामर्श से अब स्कीम को संशोधित करने और इसके कार्यान्वयन के लिए इसके तौर-तरीकों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल परियोजना परिव्यय 489.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2002-2003 के लिए बजट-अनुमान 7.65 करोड़ रुपए है।

15. **गैर-सरकारी संगठनों को सहायता** : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को और आगे बढ़ाने में एनजीओ की वृहत क्षमता को स्वीकार करता है। अतः इसके प्रारंभ से, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने तभी से एनजीओ के साथ अपनी भागीदारिता को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए हैं, और साक्षरता आन्दोलन में स्वयंसेवी संगठनों को एक सक्रिय प्रोन्नति भूमिका प्रदान की है। योजना के अंतर्गत, 15-35 वर्ष की आयु समूह वाले वयस्क नव साक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन समर्थन के प्रावधान, नवीनता, प्रयोग, मूल्यांकन और प्रभावी अध्ययनों को आयोजित करने, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत, एनजीओ को फील्ड परियोजनाओं में काम करने के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। नौवीं योजना अवधि के दौरान, राज्य संसाधन केन्द्रों के वित्त पोषण स्तर को बढ़ाया गया है । एनजीओ अब सतत शिक्षा कार्यक्रम से सम्बद्ध है।

16. **सतत शिक्षा** : यह योजना देश में कुल साक्षरता और साक्षरता पश्च कार्यक्रमों के प्रयासों को एक शिक्षण निरन्तरता उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य दबाव पुस्तकालय, वाचनालय शिक्षा केन्द्र, खेल और सांस्कृतिक केन्द्रों तथा अन्य वैयक्तिक हित के संवर्द्धन कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने के द्वारा 2000-2500 की जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना द्वारा नव साक्षरों को और अधिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। विभिन्न गतिविधियां जैसे-समता कार्यक्रम, जीवन सुधार कार्यक्रमों की गुणवत्ता, आय सृजक कार्यक्रमों और वैयक्तिक हित संवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए भी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

17. **साक्षरता प्रचार और प्रचालन जीर्णोद्वार** - सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक मुख्य कार्य नीति रही है। टीएलसी की कुछ सुस्पष्ट विशेषताएं हैं - स्वैच्छिक प्रचार, लागत-प्रभावी भागीदारी और परिणामोन्मुखी क्षेत्र-विशिष्ट,समयबद्ध, वाली ।

टीएलसी के निष्कर्ष पर, साक्षरता प्रवीणता के समेकन और प्रवीणता विकास कार्यक्रमों के एकीकरण के उद्देश्य से पश्च-साक्षरता कार्यक्रम (पीएलपी) अपनाया गया है। यह जिले में सतत शिक्षा कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए एक प्रारंभिक अवस्था भी है।

वित्त पोषण पैटर्न सामान्य और आदिवासी जिलों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 2 :1 और 4 :1 के अनुपात में है। टीएलसी और पीएलपी के लिए प्रति प्रशिक्षु लागत क्रमशः 90-180 रुपए और 90-130 रुपए है। नई विचार धारा सततता, कार्यकुशलता और अभिमुखता प्राप्त करने के लिए टीएलसी और पीएलपी के बीच एक निर्बाध लेन-देन को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत साक्षरता के साथ साक्षरता-पश्च गतिविधियों के एकीकरण की परिकल्पना करती है।

18. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय** : प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा और पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

19. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए)** - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएनएमए) की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभाग के एक स्वायत्त और स्वतंत्र स्कंध (विंग) के रूप में की गई थी। एनएलएमए की एक परिषद और एक कार्यकारी समिति, जो इसके कार्यों को भी देखती है, की भी स्थापना की गई है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सभी परियोजना प्रस्तावों के निपटान के लिए एक परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) भी स्थापित की गई है। विभाग के प्रौढ़ ब्यूरो द्वारा एनएलएमए के लिए सचिवालय से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत परिव्यय एनएलएमए के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अधिकारियों को विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते /मंहगाई भत्ते, कार्यशालाओं के गठन से संबंधित कार्यालय व्ययों को वहन करने और अभिज्ञात/चुनिन्दा कार्यकलापों के लिए अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए है।

20. **जन शिक्षण संस्थान** - योजना का उद्देश्य इसके लाभानुभोगियों की व्यावसायिक प्रवीणताओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के द्वारा बहुसंयोजक बहुपक्षीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से अलाभकारी शहरी/ग्रामीण जनसंख्या जैसे नव साक्षर, अर्ध साक्षर, अ.जा., अ.ज.जातियों की महिलाओं और बालिकाओं, गंदी बस्ती में रहने वालों, प्रवासी श्रमिकों आदि पर ध्यान केन्द्रित करता है। वर्ष 2001-2002 के अंत तक 108 जन-शिक्षण संस्थानों की मंजूरी दी गई है।